राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला

■ लोस नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांगा पैलेट गन पर जवाब ■ अमित शाह के इस्तीफे की फिर उठाई मांग

नई दिल्ली, 29 जुलाई। इंदिरा भवन में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि अन्य नेताओं को बोलने का अवसर दिया गया। राहुल गांधी के अनुसार, उन्होंने सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी तय करने की बात उठाई थी, जिसके कारण उन्हें बोलने से रोका गया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने 25 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर पूछा था कि क्या छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश उनकी ओर से दिया गया था. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सादे कपड़ों में छात्रों के साथ मारपीट करने वाले लोग पुलिसकर्मी थे या कोई अन्य व्यक्ति. राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें इस पत्र का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर कीलों वाली लाठियों का प्रयोग किया गया. उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और इस पूरे मामले की जवाबदेही तय होनी चाहिए. राहुल ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, तो इसकी अनुमति किसने दी और किन परिस्थितियों में दी गई. उन्होंने कहा कि विपक्ष का दायित्व जनता और छात्रों से जुड़े मुद्दों को संसद और देश के सामने उठाना है.

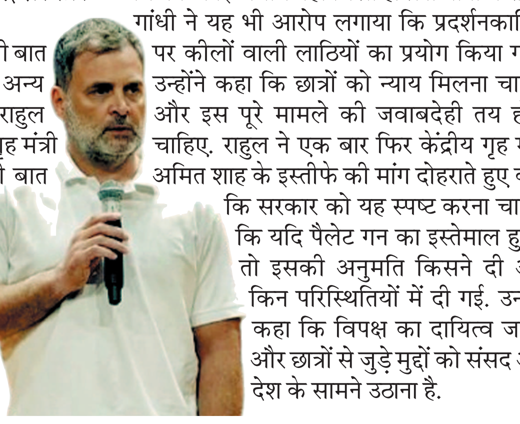

आरएसएस को राजनीति में न घसीटें राहुल

मुंबई, 29 जुलाई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने अलग रुख अपनाया है. पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि आरएसएस को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए और सरकार की आलोचना सरकार की नीतियों के आधार पर की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के आरएसएस के साथ लंबे समय से संबंध रहे हैं और वह यह नहीं कह सकते कि संगठन ने देश की पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है. आनंद दुबे ने कहा कि यदि शिक्षा व्यवस्था या अन्य सरकारी नीतियों में कमियां हैं, तो उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है.

राहुल ने सदन में झूठ बोला : पात्रा

छात्रों पर गोली चलने का दावा बेबुनियाद

नई दिल्ली, 29 जुलाई. भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का विस्तार से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सदन में छात्रों पर गोली चलने का दावा किया, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई.

पात्रा ने कहा कि जब गोली चली ही नहीं, तो यह कहना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश दिया, पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने देश को भ्रमित करने की कोशिश की.

संबित पात्रा ने कहा कि कानून-व्यवस्था की किसी भी स्थिति में यदि बल प्रयोग से संबंधित निर्णय लेना होता है, तो मौके पर मौजूद कार्यपालक मजिस्ट्रेट परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सीधे गृह मंत्री द्वारा आदेश दिए जाने का दावा वास्तविक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है. भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी को संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए. पात्रा ने राहुल गांधी पर छात्रों का अपमान करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में छात्रों को लेकर ऐसी टिप्पणियां कीं, जिन्हें भाजपा अनुचित मानती है. पात्रा के अनुसार, देश का प्रत्येक विद्यार्थी सम्मान का पात्र है और किसी भी छात्र को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना उचित नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी के उस दावे का भी खंडन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में 30 वाहनों के होने की बात कही गई थी.

आज का इतिहास

1836- अमेरिका के हवाई में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ.
1882- सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म. वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे.
1909- राइट बंधुओं ने सेना के लिए पहला विमान बनाया.
1930- एनबीसी रेडियो पर डेथ वैली डेज का पहला प्रसारण हुआ.
1942- जर्मन की सेना ने बेलारूस के मिंस्क में 25000 यहूदियों की हत्या की.
1945- नवीन चावला का जन्म. वह भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे.
1947- हॉलीवुड अभिनेता और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर आरनोल्ड श्वार्जनेगर का जन्म.
1957- एक्सपोर्ट रिस्क इंस्योरेंस कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड की स्थापना.
1966- इंग्लैंड ने फुटबॉल का विश्वकप पहली बार जीता.
1980- वानूआतो देश को स्वतंत्रता मिली.
2001- श्रीलंका सरकार ने मुक्ति चीतों (लिट्टे) पर से प्रतिबंध हटाने से इन्कार किया.
2002- कनाडा ने अलकायदा सहित सात समूहों को आतंकवादी संगठन घोषित किया.

मनमोहन सिंह को क्लीन चिट

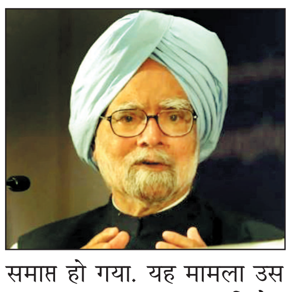

नई दिल्ली, 29 जुलाई. कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ विशेष अदालत द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया है. साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए अदालत ने इस मामले में उन्हें कानूनी रूप से राहत प्रदान की है.

▸ **कोयला आवंटन मामले में समन किया गया रद्द**

इसके साथ ही 11 वर्षों से अधिक समय से चल रहे इस प्रकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया. यह मामला उस समय शुरू हुआ था, जब विशेष सीबीआई अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े एक मामले में डॉ. मनमोहन सिंह को आरोपी के रूप में तलब करने का आदेश जारी किया था. उस समय डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों को लेकर जांच के दायरे में आए थे.

जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इंजेक्शन पर सख्त दिशा-निर्देश

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत मोटापा और टाइप-2 मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इंजेक्शन दवाओं के इस्तेमाल के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन दवाओं की समीक्षा के बाद टिरज़ेपेटाइड (माउनजारो) को सीजीएचएस की प्रतिबंधित दवाओं की ऑनलाइन सूची में शामिल कर दिया है. अब माउनजारो और सेमाग्लूटाइड का उपयोग केवल तय शर्तों के अनुसार ही किया जा सकेगा.

असम में राहत पहुंचाएगा रिलायंस फाउंडेशन

गुवाहाटी, 29 जुलाई. ऊपरी असम में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने राहत अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत शिवसागर और चराइदेव जिलों के कम से कम 10 हजार परिवारों तक भोजन, सुरक्षित पेयजल, राशन, स्वास्थ्य और अस्थायी आश्रय से जुड़ी सहायता पहुंचाई जाएगी। दोनों जिलों में पांच लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। रिलायंस फाउंडेशन की आपदा प्रबंधन टीम ने जिला प्रशासन और स्थानीय संगठनों के साथ प्रभावित इलाकों का आकलन करने के बाद राहत कार्य शुरू किए हैं।

स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मछलीपट्टनम का जलावतरण

नई दिल्ली, 29 जुलाई. भारतीय नौसेना के लिए देश में ही बनाए जा रहे आठ पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से सातवें, मछलीपट्टनम का बुधवार को जलावतरण किया गया.

मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
छठी ग्राउंड फ्लोर, नारायण चैम्बर्स, पतंग होटल के पीछे, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, संपर्क : 079-41106500

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए) सुरक्षा हित (प्रवर्तन नियम 2002) का नियम 8 (1)

चूंकि मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम - 2002 (2002 का 54) के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक मांग सूचना 08/04/2026 को जारी की थी, जिसमें उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ता/गारंटर से उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था. उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने वर्ष 2026 के जुलाई महीने के इस 27वें दिन को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त [अधिनियम] की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है. विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को एतद् द्वारा आगाह किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन 12/03/2026 तक की स्थिति के अनुसार मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार और उस पर लगने वाले ब्याज के अधीन होगा. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है.

ऋणकर्ता और सह-ऋणकर्ता, गारंटर का नाम	मॉर्गेज प्रॉपर्टी की जानकारी	लोन खाता नं. कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि और राशि
1. मेसर्स बैनर्स (प्रोपराइटर श्रीमती नमिता जैन के माध्यम से) (आवेदक) **2. श्रीमती नमिता सुधीर जैन (सह-आवेदक और गारंटर)** **3. श्री सुधीर सुरेश चंद जैन (सह-आवेदक और गारंटर)** **4. मेसर्स जीरो गारमेंट्स (प्रोपराइटर श्री सुधीर सुरेश चंद जैन के माध्यम से) (सह-आवेदक और गारंटर)**	**मॉर्टगेजर/एग्जीक्यूटर का नाम:** श्रीमती नमिता पत्नी श्री सुधीर **जैन सुरेश चंद जैन** **मॉर्गेज प्रॉपर्टी की जानकारी:-** फ्लैट नंबर 104, पहली मंजिल, 'श्री मणि विनायक कॉम्प्लेक्स', म्युनिसिपल हाउस नंबर 59 (पुराना नंबर 47), माणिक चौक, इंदौर का पूरा हिस्सा, जिसका साइज़ 692 वर्गफीट (बिल्ट-अप एरिया) और 934.2 वर्गफीट (सुपर बिल्ट-अप एरिया) है. सेल डीड के अनुसार इस तरह से घिरा हुआ है: ईस्ट- बैकलाइन, वेस्ट- कॉमन पैसेज और सीढ़ी, नॉर्थ- फ्लैट नंबर 103, साउथ- पीएचई क्वार्टर.	**लोन खाता नं.** **5792996** **27 जुलाई 2026**	**रुपए** **2,05,05,543/-** (रु. दो करोड़ पांच लाख पांच हजार पांच सौ तिरतालीस मात्र) 12-3-2026 तक

दिनांक: 30/7/2026
स्थान: इन्दौर
अधिकृत अधिकारी
कृते, मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई

अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति कुर्क

प्रयागराज, 29 जुलाई. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी करीब 110 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली है. यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर की गई. पुलिस के अनुसार धूमनगंज थाने में वर्ष 2020 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आयुक्त न्यायालय में कुर्की की आख्या प्रस्तुत की गई थी. साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए न्यायालय ने प्रयागराज के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर और कटहुला गौसपुर स्थित बेनामी जमीन को कुर्क करने का आदेश दिया, जिसके अनुपालन में मंगलवार देर शाम कार्रवाई की गई. पुलिस का दावा है कि अतीक अहमद ने अपने प्रभाव और अपराध से अर्जित धन के बल पर प्रयागराज के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर, कटहुला गौसपुर, शाहा उर्फ पीपलगांव और मंदरी गांव में कुल 12.9544 हेक्टेयर भूमि एक व्यक्ति के नाम पर बेनामी तरीके से खरीदी थी.

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां
नवभारत
में विज्ञापन के माध्यम से

ida कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर
जहां निरन्तर विकास ही लक्ष्य है

निविदा विज्ञप्ति कमांक:115/ई.टी./2026–27 दिनांक: 28.07.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य की यह संक्षिप्त निविदा सूचना है, विस्तृत विवरण म.प्र.शासन वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन निर्धारित शुल्क भुगतान कर कय किये जा सकते है।

अ. क.	पोर्टल टेण्डर कमांक व दिनांक	कार्य का नाम	निविदा राशि (रुपये में)	अर्नेस्ट मनी (रुपये में)	ऑनलाईन निविदा कय करने की अंतिम दिनांक
1	2026_DTCP_525018_1 28-07-2026	TRANSPORTATION OF SEEDLINGS FROM VARIOUS NURSERIES UNDER THE SOCIAL FORESTRY CIRCLE KHANDWA TO THE SITES AS DIRECTED BY IDA INDORE (1st Call)	1015500	20310	04-08-2026

नोटः निविदा में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को केवल विभागीय वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ही अपलोड किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
इन्दौर विकास प्राधिकरण

इंडियन बैंक Indian Bank
अंचल कार्यालय: एलआईसी टॉवर, चौथी मंजिल, प्लाट नं. 28, 29, 30, स्कीम नं. 54, रघुनाथ पेट्रोल पंप के पास, इन्दौर (म.प्र.)

श्री प्रियंक गोलहानी, कर्मचारी क्रमांक 785391, जो हमारी **न्यू पालसिया शाखा** में परिवीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, को उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति, सेवा में लापरवाही तथा पद के लिए अनुपयुक्त पाए जाने के संबंध में यह कारण बताओ सूचना जारी की गई थी कि उनकी सेवाएँ साधारण सेवा समाप्ति के माध्यम से समाप्त क्यों न कर दी जाएं। उक्त कारण बताओ सूचना **दिनांक 25.06.2026** को उनके अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई थी जिसकी प्राप्ति प्राप्तकर्ता के पते पर **02.07.2026** को हो चुकी है।
किन्तु, उक्त अधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः यह माना गया है कि अधिकारी के पास कोई उत्तर प्रस्तुत करने के लिए नहीं है। इसके उपरान्त नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लेखित साधारण सेवा समाप्ति संबंधी प्रावधान का उल्लेख करते हुए उन्हें अंतिम सूचना भी भेजी गई, परन्तु प्रेषित पत्र प्राप्तकर्ता बिना कोई अग्रेषण निर्देश दिए पता छोड़ चुका है /बार-बार प्रयास करने के बावजूद प्राप्तकर्ता का पता नहीं मिला - कारण सहित वापिस प्राप्त हुआ।
अतः, प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से यह अंतिम सूचना प्रकाशित की जाती है कि नियुक्ति प्रस्ताव में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अधिकारी की सेवाएं इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह की अवधि पूर्ण होने पर, बिना किसी अन्य सूचना अथवा पत्राचार के साधारण सेवा समाप्ति के आधार पर बैंक की सेवाओं से समाप्त कर दी जाएगी।
स्थान: इन्दौर, दिनांक 30.07.2026 **अंचल प्रबंधक**

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जहां कहीं शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड (यहां आगे शुभम कहा जायेगा) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनेंसियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट, 2002 एवं के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ सपठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित ऋणकर्ताओं को ऋण राशि को उपरोक्त सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 60 दिवस के अंदर पुर्नभुगतान हेतु नोटिस जारी किया था।
ऋणकर्ता राशि का पुर्नभुगतान करने में असफल रहे हैं ऋणकर्ताओं को एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप से इस एतद सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त कानून के नियम 8 के साथ उपरोक्त कानून की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ताओं को विषेष रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार ना करें एवं इन संपत्तियों के साथ व्यवहार शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ नीचे दर्षाई राषि एवं उस पर ब्याज के विषयानुसार होगा।
ऋणकर्ता के ध्यानार्थ, धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समयसीमा में सुरक्षित संपत्ति वापस प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। विवरण नीचे दिया गया हैः–

क्र. स.	ऋण खाता क्रं. ऋणकर्ता (ओं) का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं मांग राशि	सुरक्षित संपत्ति	चस्पा की दिनांक
1	लोन नं. 0RLM2308000005067127, अर्जुन अटोलिया, प्रीतिबाला मेहता, गोपाल, यशोदा बाई	14-04-2026 एंव ₹ 13,85,976/-	संपत्ति जो वार्ड नंबर 07, सर्वे नंबर 1407, भवन पंजी क्र. 193/1, प.ह.न. 12 ग्राम चंपानेर, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश – 456224 में स्थित है, **क्षेत्रफल**– 130.06 वर्ग मीटर	27-07-2026

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक: 29-07-2026
प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिक निगम बुरहानपुर
:: निविदा सूचना ::

निविदा क्रः- वाहन शाखा / 2026 / बुरहानपुर दिनांकः- 27/07/2026

नगर पालिका निगम, बुरहानपुर द्वारा ऑनलाईन http://www.mpetenders.gov.in के माध्यम से पंजीकृत ठेकेदारों से दरें आमंत्रित कि जाती है। निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	निविदा नं.	कार्य का नाम	कार्य की लागत	अमानत राशि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_497348_1	Supply of Stainless Steel Tankers 5 Nos	15,00,000/-	11,200/-	28.08.2026
2	2026_UAD_497350_1	To provide various vehicles on Rent	10,00,000/-	10,000/-	28.08.2026

कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट http://www.mpetenders.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वेबसाइट पर ही दिखाई देगा।

सहायक आयुक्त
वास्ते आयुक्त
नगर पालिक निगम बुरहानपुर

(ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत समन

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जबलपुर के समक्ष
द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन, मुख्य डाकघर के पास, रेसीडेंसी रोड, जबलपुर - 402001 (म.प्र.)
प्रकरण संख्या : O. A. No. 1192/2024
प्रकाशन के माध्यम से समन

आईडीबीआई बैंक
बनाम
1. श्री अंकुर सांखला, पुत्र श्री दिलीप सांखला
2. श्री दिलीप सांखला, पुत्र श्री विष्णु सांखला
3. श्रीमती रेखा सांखला, पत्नि श्री दिलीप सांखला
4. श्रीमती मधु सैनी, पत्नि श्री अंकुर सांखला
उपरोक्त सभी का निवास स्थान: मकान क्रमांक 47ई, स्कीम देव नगर, पार्ट-4, स्लाइस-2, इन्दौर (मध्यप्रदेश) - 452001

चूंकि मूल आवेदन संख्या **1192/2024** माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक **21.10.2024** को सूचीबद्ध किया गया था।
और चूंकि इस माननीय न्यायाधिकरण ने आपके विरुद्ध दायर ऋण वसूली हेतु आवेदन (O.A.) पर, अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समन/नोटिस जारी करना उचित समझा है, जिसमें **65,66,512.00/-** की राशि तथा व्यय एवं भविष्य का ब्याज वसूलने की मांग की गई है। आवेदन के साथ दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न है।
अतः अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार आपको, प्रतिवादीगण को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:
1. समन की सेवा प्राप्त होने की तिथि से **30 दिनों के भीतर** कारण बताएं कि आवेदन में मांगी गई राहत क्यों न प्रदान की जाए।
2. मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में आवेदक द्वारा वर्णित संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त, अपनी अन्य संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का पूरा विवरण प्रस्तुत करें।
3. आवेदन के क्रमांक 3ए में वर्णित सुरक्षित परिसंपत्तियों अथवा अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में, संपत्ति कुर्की आवेदन के विचारण एवं अंतिम निर्णय तक, आप किसी प्रकार का लेन-देन या निपटान (Disposition) नहीं करेंगे।
4. न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, जिन परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित (Security Interest) निर्मित है अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट अथवा आपके द्वारा प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को, व्यवसाय के सामान्य संचालन को छोड़कर, विक्रय, पट्टा (Lease) या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेंगे।
5. व्यवसाय के सामान्य संचालन में सुरक्षित परिसंपत्तियों अथवा अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि का पूरा हिसाब प्रस्तुत करने के लिए आप उत्तरदायी होंगे तथा उक्त बिक्री प्राप्ति को उस बैंक या वित्तीय संस्था के खाते में जमा करेंगे जिसके पास उन परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित विद्यमान है।
6. आपको निर्देशित किया जाता है कि अपना लिखित उत्तर (Written Statement) दाखिल करें, जिसकी एक प्रति आवेदक को भी उपलब्ध कराएं, तथा दिनांक **07.09.2026** को **प्रातः 10:30 बजे** रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो आवेदन की सुनवाई आपके अनुपस्थित रहने पर भी की जाएगी तथा निर्णय पारित कर दिया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मुहर सहित, **दिनांक 13.07.2026**
SEAL
रजिस्ट्रार
वसूली न्यायाधिकरण, जबलपुर

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025, सीआईएनः U65900DL2020PLC366027

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जिसका प्रधान कार्यालय तीसरी मंजिल, एडीडी इंडिया टावर, सेक्टर 125, नोएडा-201303 में स्थित है) से ऋण लिया है, अपने ऋण का ब्याज चुकाने में विफल रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनके ऋण खातों को निष्पादित (एनपीए) घोषित कर दिया गया है। उधारकताओं ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अचल संपत्तियों की जमानत दी है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकताओं द्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है।
ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वाले और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी, जो एक सुरक्षित ऋणदाता है, ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित ऋण लेने वाले इस सूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के आगे दर्शाई गई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो मैं SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करूंगा, जिसमें संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति से संबंधित कोई लेन-देन न करें।

ऋण लेने वाले/गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	सुरक्षित परिसंपत्तियों/संपत्ति का विवरण
1. श्री भेरूलाल खीची पुत्र श्री बिहारीलाल खीची (उधारकर्ता/बंधककर्ता), 262, वार्ड क्रमांक 5, ग्राम लाबरिया, तहसील - सरदारपुर, लाबरिया, जिला. धार, मध्य प्रदेश, 454111, 2. श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री बिहारीलाल खिची (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता), मकान नं. 1- 28 ई, 262, वार्ड क्रमांक 5, ग्राम लाबरिया, तहसील, सरदारपुर, जिला। धार, मध्य प्रदेश, 454111, 3. श्री अशोक खिची पुत्र श्री बिहारीलाल खिची (सह-उधारकर्ता), 262, वार्ड क्रमांक 5, ग्राम लाबरिया, तहसील-सरदारपुर, लाबरिया, जिला। धार, मध्य प्रदेश, 454111 ऋण खाता संख्या, मांग सूचना की तिथि और राशि: ऋण खाता सं.: 103041547336 डिमांड नोटिस की तारीखः 28-07-2026 बकाया राशिः 4,57,000/- (चार लाख सत्तावन हजार मात्र) 27-07-2026 तक एनपीए दिनांक : 04.07.2026	संपत्ति पर न्यायसंगत बंधकः आवासीय संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका कुल क्षेत्रफल 780 वर्ग फीट, 72.49 वर्ग है। मीटर. पीएचएन 12, वार्ड नंबर 05, भवन पनजी कर्मांक 178/2, ग्राम लाबरिया, ग्राम पंचायत लाबरिया, तहसील सरदारपुर, जिला में स्थित है। धार, मध्य प्रदेश, 454111. श्री भेरूलाल खिची पुत्र श्री बिहारीलाल खिची और श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री बिहारीलाल खिची के नाम पर। सीमाः पूर्वः जैन धर्मशाला का प्लॉट, पश्चिमः कॉमन रोड, उत्तरः मांगीलाल बिहारी का घर, दक्षिणः राजू खिची का घर
1. श्री धीरज सिंह पँवार पुत्र श्री हाकम सिंह पँवार (उधारकर्ता/बंधककर्ता), निवासी 9, ग्राम बम्बोरी, तहसील घटिया, पिपलिया वार, जिला। उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456550, 2. श्रीमती कोमल कुँवर पत्नी श्री धीरज सिंह पंवार (सह-उधारकर्ता), निवासी 9, ग्राम बंबोरी, तहसील घटिया, पिपलिया वार, जिला। उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456550, 3. श्रीमती गोविंद कुँवर पत्नी श्री हाकम सिंह पंवार (सह-उधारकर्ता), निवासी 9, ग्राम बंबोरी, तहसील घाटिया, पिपलिया वार, जिला। उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456550 ऋण खाता संख्या, मांग सूचना की तिथि और राशि: ऋण खाता सं.: 103041544496 डिमांड नोटिस की तारीखः 28-07-2026 बकाया राशिः 4,30,000/- (चार लाख तीस हजार मात्र) 27-07-2026 तक एनपीए दिनांक : 04.07.2026	प्रॉपर्टी पर इक्विटेबल मॉगेजः कुल 2150 वर्ग फुट (199.81 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाली रिहायशी प्रॉपर्टी। यह प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 185, पी. हल्का नंबर 04, गांव बांबोरी, तहसील घटिया, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश (पिन कोड 456550) में स्थित है। यह प्रॉपर्टी श्री धीरज सिंह पंवार (पिताः श्री हाकम सिंह पंवार) के नाम पर है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः स्वभाव सिंह, पश्चिमः मोहन दा, उत्तरः सड़क, दक्षिणः गोकुल दा।

दिनांकः 28.07.2026, स्थानः नोएडा **अधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय :ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र - 400072
शुजालपुर शाखा: मकान नं.17, वार्ड नं.15, पंजाबी मोहल्ला, दिगंबर जैन मंदिर रोड, शुजालपुर मंडी, जिला - शुजालपुर 465333 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेटस एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 09110000056/ शुजालपुर शाखा) हेमराज प्रजापति (ऋणी) सोना प्रजापति, अमन प्रजापति एवं विशाल प्रजापति (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, पटवारी हल्का नं. 22, सर्वे नंबर 317/18/2, पानखेडी (कालापीपल), शाजापुर, मध्य प्रदेश 465337, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः सड़क, पश्चिमः सड़क, उत्तरः हरि प्रजापत की भूमि, दक्षिणः रमेश मीणा का मकान	08-04-2026 & ₹ 7,69,400/-	28-07-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 30.07.2026
प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड